न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–424/2026

शमीम मियां उर्फ फेकू मियां एवं जलील मियां उर्फ मो0 जमील बनाम बिहार राज्य

10.06.2026 आवेदक/अभियुक्तगण **1. शमीम मियां उर्फ फेकू मियां पे0 स्व0 रफी मियां एवं 2. जलील मियां उर्फ मो0 जमील पे0 फेकू मियां उर्फ शमीमुद्दीन,** जो इसलामपुर थाना काण्ड सं–82/2012 (अन्तर्गत धारा–341,323,504,506,406,365 भा0द0वि0) में अभियुक्त है व जिन्हें इस वाद में गिरफ्तारी की आशंका है, की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामनन्दन प्रसाद द्वारा प्रचालित किया गया। इस जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख एवं वाद दैनिकी प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के क्रम में निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में दाखिल ए0बी0पी0 नं0–400/2021 श्रीमान् के न्यायालय से खारिज की गई है, जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गई है। आवेदकगण के विरूद्ध इस मुकदमा के अलावे एक अन्य मुकदमा लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण का सह अभियुक्त विजय पासवान से किसी प्रकार का वास्ता वो सरोकार नहीं है और दोनों भिन्न–भिन्न गॉव के व्यक्ति हैं। आरोपित आरोप आवेदकगण के विरूद्ध लागू नहीं होता है। उभय पक्षों में मामला राजी–खुशी से तसफिया हो गया है और तसफिया हो जाने के कारण दोनों पक्षों के बीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण कायम हो गया है। इन तर्को के आलोक में आवेदक/अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में धारा–341, 323,504,506,406,365 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है एवं इनके विरूद्ध प्रत्यक्ष आरोप है कि आवेदक अभियुक्तगण सूचक मदन राउत के 12 वर्षीय पुत्र की चूड़ी के व्यवसाय में काम कराने का वादा करके अपने साथ ले गये व जब सूचक ने अपने बेटे को वापस करने की बात अभियुक्तों से की तो आवेदक अभियुक्तों द्वारा कहा गया कि वे सूचक के बेटे को डेढ़ लाख रूपये में बेच दिये हैं एवं बच्चे को लौटाने के लिए डेढ़ लाख रूपये की मांग किये एवं धमकी दिये कि बच्चे को मारकर फेक देगें। यह आरोप काफी गंभीर है एवं अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह वाद काफी पुराना (वर्ष 2012 का) है एवं आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध वारंट एवं प्रेसेस निर्गत किये जाने के वाद भी ये इस वाद में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्तों की अग्रिम जमानत याचिका सं0–400/2021 पूर्व में खारिज हो चुकी है एवं उक्त आदेश में इन्हें यह भी निर्देश दिया गया था कि ये न्यायालय में चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करे, किन्तु आवेदक अभियुक्तों ने उक्त आदेश का पालन भी नहीं किया है।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–424/2026

लगातार
10.06.2026

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्तों के उपरोक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए इन्हें जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा